

न्यायालय जिला कलक्टर गंगापूर सिटी
पीठासीन अधिकारी डॉ० गौरव सैनी

अपील संख्या 15/23

तारीख रज्जू- 12/09/23

1. राधाकिशन आयु 59 साल पुत्र श्री रागराहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम सलारपुर तहसील गंगापूर सिटी।
—अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार गंगापूर सिटी ।

—रेस्पोंडेन्ट

निर्णय

दिनांक:- 06.12.2024


उपस्थित

1. अधिवक्ता विकास कुलश्रेष्ठ - अपीलार्थी पक्ष
2. परोकार सरकार - रेस्पोंडेन्ट पक्ष

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार गंगापूर सिटी द्वारा मिसल संख्या 99/21 में पारित निर्णय देनांक 02.02.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम सलारपुर के आराजी ख0नं0 48,54 रकबा 0.160 है0 किस्म गै0मु0चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थात् दण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से तथा सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष की मूल बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.02.2021 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया और एकतरफा कार्यावाही की है जो प्राकृति न्याय के विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में भारी कानूनी भूल की है। अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है। पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य भी मौजूद नहीं है, जिससे साबित होता हो कि अपीलार्थी को वास्तविक रूप से कब्जे से बेदखल किया गया हो। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें न तो अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिया है और न ही निर्णय पारित करने से पूर्व मौके का निरीक्षण किया है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा नवीन रिपोर्ट दिनांक 14/11/2024 में बताया है कि उक्त वाद आराजीयात भूमि खाली है। अपीलार्थी द्वारा मौके से अतिक्रमण हटा


6/12/24

